दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: **28.04.2023**

रि.या. (सि.) 1242/2022 तथा सि.वि.आवे. 3625/2022

मोहम्मद एकमाम उददीन अहमद और अन्य ....याचीगण

बनाम

आयुक्त (आवेदन) सीमा एवं केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं अन्य ....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में उपस्थित अधिवक्तागण

याचिकाकर्तागण के लिए : सुश्री रिया सोनी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण के लिए : श्री अक्षय अमृतांशु, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री आशुतोष जैन, प्रत्यर्थीगण1 &2 के लिए अधिवक्ता

श्री भगवान स्वरूप शुक्ला, सी. जी. एस. सी., श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी और श्री सरवन कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 3/ भारतीय संघ के लिए अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

[भौतिक न्यायालय सुनवाई/हाइब्रिड सुनवाई (अनुरोध के अनुसार)]

निर्णय

न्या. तारा वितस्ता गंजू :

सामग्री की सारणी

प्रस्तावना.....2
पृष्ठभूमि 3
याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ.....5
प्रत्यर्थीगण की प्रस्तुतियाँ.....6
निर्णयज विधियाँ उद्धृत..... 7
जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट.....8
कानून.....10
निर्णयज विधि पर चर्चा.....11
आगरवुडःप्रजाति और निर्यात..... 21
मूल्यांकन और कीमतों पर चर्चा..... 22
निष्कर्ष.....27

प्रस्तावना -

1. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई के संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी गई है [इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है] और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को अधिनियम की धारा 129ई में निर्धारित अनिवार्य शुल्क के पूर्व-जमा किए बिना स्वीकार करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग की गई है।

1.1. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे गरीब परिवारों से संबधित हैं और इस्लाम नगर, होजई, असम में रहते हैं और अच्छी तरह से शिक्षित युवा नहीं हैं। उनकी याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता सं. 1 और 3 ने सर्कल अधिकारी, होजई, असम के कार्यालय द्वारा जारी 13.12.2021 का आय प्रमाणपत्र दाखिल किया है, जिसमें रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) की वार्षिक दिखाई गई है| याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि वे कृषि द्वारा तथा थोड़ी मात्रा में अगरवुड बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में प्रस्तुत किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान उनके द्वारा खरीदे गए थे, और बिल हेतुक दर्शित नोटिस के जवाब के साथ संलग्न थे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि जब्त किए गए माल का गलत मूल्यांकन बहुत अधिक बाजार मूल्य पर किया गया था और माल के गलत मूल्यांकन के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि अधिनियम की धारा 129ई के तहत उनकी अपील के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे हैं वित्तीय रूप से मजबूत नहीं है और इसलिए, इस उदग्रहण को चुनौती देने के लिए आवश्यक अनिवार्य पूर्व-जमा का भुगतान करने में असमर्थ है।

<u>पृष्ठभूमिः</u>

2. इस याचिका के उद्देश्य के लिए निर्विवाद तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता असम से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, और उन्होंने 20.09.2019 को बैंकॉक के लिए प्रस्थान करने का इरादा किया थे। उनके पास तीन हैंडबैग और पांच ट्रॉली बैग थे। आईजीआई हवाई अड्डे पर याचिकाकर्ताओं द्वारा ले जाए गए थैलों की जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता अगरवुड टुकड़ें और अगरवुड तेल ले जा रहे थे। याचिकाकर्ताओं के पास से सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 120 किलोग्राम भार के अगरवुड के टुकड़ें और 4.5 किलोग्राम अगरवुड तेल (लगभग) बरामद किया गया जिसकी कीमत 6,36,00,000/- थी|

2.2 चूंकि याचिकाकर्ताओं से उक्त अगरवुड टुकड़ें के निर्यात के लिए कोई वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, इसलिए अगरवुड के टुकड़ें और अगरवुड तेल ले जाने का याचिकाकर्ताओं का कार्य विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया और उन्हें अधिनियम की धारा 113 के तहत जब्त कर लिया गया। तदनुसार, अधिनियम की धारा 124 के तहत जारी दिनांक 16.03.2020 [इसके बाद "एससीएन" के रूप में संदर्भित] एक हेतुक दर्शित नोटिस, उक्त जब्त अगरवुड के

टुकड़ें और अगरवुड तेल के लिए सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिया गया था।

2.3 याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 16.03.2020 को एससीएन को एक सामान्य जवाब दाखिल किया। हालांकि एससीएन के जवाब की प्रति याचिका के साथ दायर नहीं की गई थी, दिनांक 13.07.2021 के मूल आदेश [इसके बाद "ओआईओ" के रूप में संदर्भित] में उत्तर को पुनः प्रस्तुत किया गया है। ओ. आई. ओ. के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्यर्शी सं. 1 तथा 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दिनांक 01-03-2021 को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया |

2.4 सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 2 इसके ओ. आई. ओ. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास अगरवुड के टुकड़ें और अगरवुड तेल के निर्यात के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं और इस प्रकार उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ओ. आई. ओ. ने अभिनिर्धारित किया कि माल आत्यंतिक, पूर्ण, रूप से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है और प्रत्येक याचिकाकर्ता पर निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया हैः

> *"(i) जब्त किए गए माल की सामूहिक रूप से क़ीमत रुपये 6,36,00,000/- की है |*

(ii) रुपये 15,00,000/- का जुर्माना याचिकाकर्ता सं. 1 पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114 के तहत।
(iii) रुपये 75,00,000/- का जुर्माना याचिकाकर्ता सं. 2 पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114 के अधीन।
(iv) रुपये 25,00,000/- का जुर्माना याचिकाकर्ता सं. 3 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 114 के तहत ।

(v) जब्त किए गए सामान को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले थैलों को पूर्ण, रुप से जब्त कर लिया जाए।"

2.5 ओआईओ द्वारा व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 27.10.2021 को प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष तीन अपीलें दायर की साथ ही अपील दायर करने के जुर्माना 7.5% की पूर्व-जमा की अनिवार्य शर्त से छूट/स्थगन के लिए आवेदन भी किया। ऐसी ही एक अपील (याचिकाकर्ता सं. 2 की) इस न्यायालय के समक्ष रखी गई है।

2.6 अधीक्षक (अपील) ने दिनांक 08.11.2021 को अपने पत्र द्वारा याचिकाकर्ताओं को तीनों अपीलों को वापस कर दिया, जैसा कि अधिनियम की धारा 129 ई के तहत लगाए गए जुर्माने के 7.5% का अनिवार्य भुगतान नहीं किया गया था।

2.7 इसके कारण वर्तमान याचिका दायर की गई है।

<u>याचिकाकर्ताओं के निवेदन:</u>

3. **याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 129ई की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। जैसा** कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.04.2022 के आदेश में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 28.02.2022 के निर्णय द्वारा, **चन्द्र शेखर झा बनाम भारत संघ और अन्य** शीर्षक वाले मामले में इस उपबंध की पूर्णता को कायम रखा है। वास्तव में प्रार्थना को छोड़कर, अधिनियम की धारा 129 ई की तात्पर्यित असंवैधानिकता पर कोई प्रस्तुति नहीं दी गई थी। इसलिए, हमें आगे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

4. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगरवुड टुकड़ें और अगरवुड तेल की खेती की किस्म का निर्यात नि:शुल्क है और अध्याय 12, निर्यात निति की अनुसूची-2 की क्रम.सं. 60(ख) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है| याचिकाकर्ताओं ने अधिसूचना सं. 45/2015 दिनांक 29-11-2021 पर अगरवुड तेल और अगरवुड के टुकड़ें और पाउडर की निर्यात नीति में संशोधन पर (जो अगरवुड के टुकड़ें और पाउडर और अगरवुड तेल के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तों का वर्णन करता है), यह कहते हुए कि यह केवल उक्त नीति के संशोधन द्वारा ही जब्त किए गए उत्पाद

प्रतिबंधित हो गए हैं। तथापि दिनांक 20.09.2019 को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्ती के समय, उक्त नीति लागू नहीं थी।

4.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जब्त किए गए सामान का गलत मूल्यांकन किया गया था। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के अगरवुड के सतत उपयोग के लिए एक मसौदा नीति पर भरोसा किया [जिसे इसके बाद "मसौदा नीति" के रूप में संदर्भित किया गया है]। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि मसौदा नीति अगरवुड को "न्यूनतम गुणवत्ता के लिए कुछ डॉलर प्रति किलो से, उच्च गुणवत्ता वाले तेल और रेसिनस लकड़ी के लिए तीस हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक मानती है।" याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब्त किए गए अगरवुड के टुकड़ें स्थानीय बाजार से खरीदे गए थे और सबसे कम ग्रेड के हैं जिनकी कीमत रु. 140/- से रु. 1,200/- प्रति किलोग्राम के बीच में है और इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 2 ने जब्त किए गए सामान का गलत मूल्यांकन किया है।

<u>प्रत्यर्थीगण के निवेदन:</u>

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या. 2 द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अगरवुड एक लुप्तप्राय प्रजाति है और यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्रारा प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन [इसके बाद "सीआईटीईएस" के रूप में संदर्भित] के परिशिष्ट-II के तहत शामिल है। सीआईटीईएस लुप्तप्राय पौधों और जानवरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरों से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के संदर्भ में अगरवुड का निर्यात भी प्रतिबंधित है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति / लाइसेंस जमा करने के बाद ही इसका निर्यात किया जा सकता है। चूंकि, याचिकाकर्ताओं को अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल के निर्यात के लिए कोई वैध दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, इसलिए माल को 20.09.2019 को अभिग्रहीत और जब्त कर लिया गया।

5.1 प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 20.09.2019 की प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है, जिसे वन्यजीव निरीक्षक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनआर), नई दिल्ली द्वारा दिया गया है [इसके बाद "वन्यजीव निरीक्षक" के रूप में संदर्भित किया गया है], जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित यात्री सामान की जांच पर, इसमें 120 किलोग्राम (नि.भा.) अगरवुड (एक्विलेरिमा मेलाकेंसिस) के

मिश्रित आकार और विनिम श्रेणी के लकड़ी के टुकड़े और 4.5 किलोग्राम अगरवुड तेल पाए गए| इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब्त की गई प्रजातियों को सी. आई. टी. ई. एस. के परिशिष्ट-2 में शामिल किया गया है और डी.जी.एफ.टी अधिसूचना सं. 2 (आर.ई.98)/1997-2002, दिनांक 13-04-1998 द्वारा अगरवुड की इस प्रजाति का निर्यात प्रतिबंधित है| तथापि इस अधिसूचना की प्रति प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल नहीं की गई है।

<u>उल्लेखित निर्णत विधि:</u>

6. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि याचिकाकर्ता गरीब, दिहाड़ीदार हैं और विवादित प्रावधान उन्हें अपील करने के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। याचिकाकर्ताओं ने निर्णयों के प्रस्तुतिकरण / संकलन दायर किए हैं, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठों ने दुर्लभ और योग्य परिस्थितियों में इस पूर्व-जमा प्रावधान की छूट की अनुमति दी है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया हैः

(i) ***पायनियर कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ[2];***

(ii) ***नरेंदर यादव बनाम सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त*** *(निर्यात)[3];*

(iii) शुभ इम्पेक्स बनाम भारत संघ तथा अन्य[4];

(iv) टेक्सप्लास भारत प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो[5];

(v) चंद्रशेखर झा मामला (सुप्रा)।

6.1 दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या. 2 के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि जहां तक जुर्माने की पूर्व-जमा का संबंध है, न्यायालय को छूट की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता सं. 2 ने निम्नलिखित निर्णयों पर यह कहने के लिए भरोसा किया है कि धारा स्पष्ट है और अपील दायर करने से पहले पूर्व-जमा की अनिवार्य आवश्यकता हैः

(i) चंद्र शेखर झा मामला (ऊपर);

(ii) डिश टीवी इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ तथा अन्य[6];

(iii) निम्बस कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम सेवा कर आयुक्त[7];

(iv) गणेश यादव बनाम भारत संघ और अन्य[8].

<u>जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्टः</u>

7. चूंकि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं के पास पूर्व-जमा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 129ई के तहत आवश्यक है और याचिकाकर्ता इस्लाम नगर, होजई, असम के गरीब परिवारों से संबंधित हैं, दिनांक 27.04.2022 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने असम राज्य

में जिला मजिस्ट्रेट, जिला होजई को तीनों याचिकाकर्ताओं की आय और संपत्ति के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

7.1 उक्त आदेश के अनुसरण में, उपायुक्त कार्यालय, होजई, असम सरकार, ने दिनांक 16.06.2022 को एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"ऊपर दिए गए विषय के संदर्भ में, मुझे रि.या.(सि) 1242/2022 तथा सि.वि.आवे. 3625/2022 के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आय और संपत्ति रिपोर्ट के बारे में सूचित करने का सम्मान प्राप्त है। जैसा कि निम्न उल्लिखित है|

*1) मोहम्मद अकमम उद्दीन अहमद, पुत्र मोहम्मद अब्दुल मन्नान गाँव- इस्लामपुर, मौज़ा-होजई, जिला का निवासी है।- होजाई (असम) का निवासी है| **गाँव फतेहपुर तथा इस्लामपुर में उनके पिता के नाम पर 1.33 हेक्टेयर जमीन है।-** वर्तमान भूमि सरकारी मूल्य रु. 51,50,000/- (इक्यावन लाख पचास हजार रुपये) है | वह एक दिहाड़ी मजदूर है।*

*2) बहर उद्दीन, पुत्र मुराकिब अली गाँव- मतिखोला, मौज़ा-नामती, जिला हौजई (असम) का निवासी है।- **गांव मतिखोला में उनके नाम पर 0.02 हेक्टेयर जमीन है।-** उनकी जमीन का वर्तमान सरकारी मूल्य रु 57, 680/- (सतावन हजार हजार छह सौ अस्सी रुपये) है । वह एक दिहाड़ी मजदूर है।*

*3) इकबाल हुसैन, पुत्र मोइन उद्दीन गाँव-इस्लामपुर, मौज़ा-होजई, जिला हौजई (असम) का निवासी है। **उनके और उनके पिता के नाम पर कोई जमीन नहीं है। वह एक दिहाड़ी मजदूर है.....***

[जोर हमारा है]

7.2 उपरोक्त रिपोर्ट का सार यह है कि सभी तीन याचिकाकर्ता, अर्थात मोहम्मद अकमम उद्दीन अहमद, बहार उद्दीन और इकबाल हुसैन, जिला होजई के गांवों के निवासी हैं, और दिहाड़ी मजदूर हैं। जिनके पास बहुत कम या कोई साधन नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की खराब वित्तीय स्थिति की पुष्टि उपरोक्त रिपोर्ट से हुई।

कानून:

8. तत्काल संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 129ई को यहां पुनःप्रस्तुत किया गया हैः

"अनुभाग 129-ई. अपील दायर करने से पहले मांग किए गए शुल्क या लगाया गया जुर्माना का निश्चित प्रतिशत की राशि जमा करना.-

अधिकरण या आयुक्त (अपील), जैसा भी मामला हो, किसी भी अपील को स्वीकार नहीं करेगा -

(i) धारा 128 की उपधारा (1) के अधीन, जब तक कि अपीलार्थी ने सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त से निम्न रैंक के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या

आदेश के अनुसरण में शुल्क का साढ़े सात प्रतिशत, उस दशा में जहां शुल्क अथवा शुल्क और जुर्माना विवाद में है, अथवा जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है, जमा नहीं करता है;

(ii) धारा 129-क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जब तक कि अपीलार्थी ने उस निर्णय अथवा आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का साढ़े सात प्रतिशत तब तक जमा नहीं कर दिया है जब तक कि उस मामले में जहां शुल्क या शुल्क और जुर्माना विवाद में है अथवा जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है;

(iii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जब तक कि अपीलार्थी ने शुल्क का दस प्रतिशत जमा नहीं करता, उस दशा में, जहां शुल्क अथवा शुल्क तथा जुर्माना विवाद में है, अथवा जुर्माना, जहां ऐसा जुर्माना विवाद में है, उस विनिश्चय अथवा आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है:

बशर्ते कि इस धारा के तहत जमा की जाने वाली अपेक्षित राशि दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबंध वित्त (सं.-2) अधिनियम, 2014, (2014 का 25). के प्रारंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित स्थगन आवेदनों और अपीलों पर लागू नहीं होंगे|

8.1 अनुभाग में प्रयुक्त शब्दों में कहा गया है कि अधिकरण या आयुक्त (अपील) किसी अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक की विवाद में जुर्माने का 7.5 प्रतिशत जमा नहीं कर दिया गया हो।

8.2 धारा के दूसरे परन्तुक के एक सादे पठन से यह भी स्पष्ट होता है कि अधिनियम की धारा 129ई के उपबंध दिनांक 06.08.2014 से पहले लंबित स्थगन आवेदनों और अपीलों पर लागू नहीं होंगे।

8.3 वर्तमान मामले में, अपील दायर करने के लिए, प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा किया जाने वाला पूर्व-जमा अनिवार्य इस प्रकार होगाः

(i) 1,12,500/- रुपये की एक पूर्व-जमा राशि [15,00,000 रुपये जुर्माने का 7.5%] याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा |
(ii) 5,62,500/- रुपये की एक एक-जमा राशि [75,00,000/- रुपये जुर्माने का 7.5%] याचिकाकर्ता सं. 2 द्वारा |
(iii) 1,75,000/- रुपये की एक पूर्व-जमा राशि 25,00,000/- रुपये जुर्माने का 7.5%] याचिकाकर्ता सं. 3 द्वारा |

<u>निर्णय-विधि पर चर्चा:</u>

9. दोनों पक्षों ने अपनी पूरी तरह से विपरीत दलीलों के समर्थन में निर्णयों का हवाला दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के समर्थन

में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है कि विवाद में जुर्माना के 7.5% की अनिवार्य पूर्व जमा राशि को कुछ परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 129 ई के प्रावधान के तहत किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9.1 याचिकाकर्ताओं ने **पायनियर कारपोरेशन** मामले (उपर्युक्त) **नरेंद्र यादव** मामले (उपर्युक्त) और **शुभ इम्पेक्स** (उपर्युक्त) मामलें में इस न्यायालय की समन्वय पीठो के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि न्यायालय विशेष परिस्थितिओं में अधिनियम की धारा 129 ई में परिकल्पित अनिवार्य पूर्व-जमा राशि के भुगतान को माफ़ कर दिया है

9.2 **पायनियर निगम** मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने, जहां न्यायालय ने केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35एफ में किए गए संशोधन पर चर्चा करते हुए (जिसे इसके बाद "सीई अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) (जो धारा अधिनियम की धारा 129ई के समान है तथा जिसकी अपील के मामले में पूर्व-जमा की भी आवश्यकता है) यह अभिनिर्धारित किया कि सीई अधिनियम की धारा 35एफ के संशोधन से पहले, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (जिसे इसके बाद "सीईएसटीएटी" के रूप में संदर्भित किया गया है) को वित्तीय कठिनाई पर विचार करने और तदनुसार

संशोधन के बाद पूर्व-जमा राशि निर्धारित करने के लिए एक विवेकाधिकार उपलब्ध था, पूर्व-जमा राशि को माफ करने का निर्देश अभिव्यक्ति संशोधन की विधायी मंशा के विपरीत होगा| तथापि, इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को हटाया नहीं जा सकता है और ऐसी शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभ और योग्य मामलों में किया जाना चाहिए जहां इस तरह के हस्तक्षेप के लिए निम्नानुसार स्पष्ट औचित्य दिया गया हैः

> *"9.....इसलिए, सी. ई. एस. टी. ए. टी. को यह निर्देश कि उसे पूर्व-जमा राशि को माफ कर देना चाहिए, 6 अगस्त, 2014 से संशोधित धारा 35एफ में अभिव्यक्त विधायी मंशा के विपरीत होगा।* ***<u>यद्यपि संशोधित धारा 35एफ के होते हुए भी राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को संभवतः वापस नहीं लिया जा सकता है, न्यायालय का विचार है</u>*** *कि उक्त शक्ति का उपयोग दुर्लभ और योग्य मामलों में किया जाना चाहिए जहां इस तरह के हस्तक्षेप से स्पष्ट औचित्य बनाया जाता है। श्री दत्ता की दलीलें सुनने और न्यायनिर्णयन आदेश का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह निर्देश देने के लिए राजी नहीं किया जाता है कि जहां तक सीईएसटीएटी के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील का संबंध है, वहां पूर्व-जमा की पूर्ण छूट होनी चाहिए।*
>
> *[जोर हमारा है]*

9.3 ***नरेंद्र यादव*** मामले (उपर्युक्त) और ***शुभ इम्पेक्स*** मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की समन्वित पीठों ने, दोनों ने अधिनियम की धारा

129ई के संशोधित प्रावधान पर विचार करते हुए, अनिवार्य पूर्व-जमा से छूट की अनुमति दी है, जैसा कि उक्त प्रावधान में परिकल्पना की गई है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में।

9.4 ***नरेंद्र यादव*** मामले (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने यह अभिलिखित करते हुए कि याचिकाकर्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी था जो रु. 14,500/- प्रति माह प्राप्त कर रहा है, [अर्थात रु.1,74,000/- प्रति वर्ष] और यह कि मूल आदेश में याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माना का कोई कारण नहीं दिया गया है, निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 129ई के तहत पूर्व-जमा की आवश्यकता को माफ कर दिया जाए। प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

"....याचिकाकर्ता की शिकायत है कि एच-कार्ड धारक के रूप में, मामले की समग्र परिस्थितियों में 3.8 करोड़ रुपये को जुर्मानो का आरोपण यह देखते हुए कि ***मूल आदेश ने उसके खिलाफ कोई विशिष्ट प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है, अनुचित है।*** *इसलिए, याचिकाकर्ता यह निर्देश चाहता है कि आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की सुनवाई और निपटान के लिए एक शर्त के रूप में पूर्व-जमा की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए।*

न्यायालय ने, प्रस्तुतियों तथा तथ्य पर विचार किया कि मूल आदेश ***कोई कारण नहीं प्रकट करता कि यचिकाकर्ता-एक वेतनभोगी कर्मचारी जो प्रतिमाह रुपये.14,500/- प्राप्त कर रहा है, पर जुर्माना क्यों लगाया था| परिस्थितियों में, आयुक्त (अपील) याचिकाकर्ता की अपील को पूर्व-जमा की आवश्यकता पर***

<u>जोर दिए बिना उसके गुण-दोष पर सुना जाएगा; तदनुसार इसे माफ करने का निर्देश दिया जाता है।"</u>

<u>[जोर हमारा है]</u>

9.5 ***शुभ इम्पेक्स*** मामले (उपरोक्त) में, रुपये 1.27 करोड़ का पूर्व-जमा करने का निर्देश को लगाए गए शुल्क का 7.5% होने के कारण अधिनियम की धारा 129ई के तहत अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी। ***पायनियर निगम*** मामले (उपर्युक्त) में निर्णय पर चर्चा करते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यधपि दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के अस्तित्व को मान्यता दी। इस प्रकार न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले से किए गए टोकन पूर्व-जमा के आलावा 5 लाख रूपये की पूर्व-जमा राशि भी जमा की जाये | प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है |

> *"10. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, जबकि हम वैकल्पिक उपाय पर प्रत्यर्थीगण की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, हम हस्तक्षेप करने और पूर्व-जमा की शर्त में ढील देने के लिए भी इच्छुक हैं। हम निर्देश देंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा 3,70,008 रूपये की आलावा 5,00,000 रूपये की पूर्व-जमा करने पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर की जाने वाली अपील पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा| पूर्व-जमा परिणाम के अनुरूप होगी| पहली अपील, यदि*

21 दिनों के भीतर की जाती है, तो सीमा के आधार पर खारिज नहीं की जाएगी।

*11. पायनियर कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ, 2016 (340) ईएलटी 63 (डेल) में, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि **उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सीमा शुल्क (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क) अधिनियम की धारा 35एफ के अधीन किए गए संशोधन के बावजूद, विवेक का प्रयोग करते हुए दुर्लभ और योग्य मामलों में पूर्व-जमा राशि को कम कर सकता है.***

अधिनियम ने रिट न्यायालय में निहित उक्त शक्ति को वापस नहीं लिया है या छीना है, जिसका उपयोग दुर्लभ लेकिन अकाव्य और योग्य मामलों में किया जाना चाहिए, जब न्याय के हेतुक में इस तरह की कमी की आवश्यकता होती है।

[जोर हमारा है]

9.6 इस न्यायालय की एक अन्य समन्वित पीठ ने, ***मनोज कुमार झा बनाम डी. आर. आई[9].***, के मामले में, अपीलकर्ता की वित्तीय तंगी को देखते हुए, बांड अथवा उचित प्रतिभूति प्रस्तुत करने के अधीन, आंशिक पूर्व-जमा के भुगतान पर अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इस निर्णय के प्रकरण 3 का संदर्भ दिया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

*"3.इस न्यायालय के लिए, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता सीमित साधनों वाला व्यक्ति है, यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू किया गया है या नहीं। इन परिस्थितियों में, **अभिलेख की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जो बताती है कि***

<u>याचिकाकर्ता के पास कोई भी राशि जमा करने के लिए बहुत सीमित साधन हैं.</u> इस न्यायालय की राय है कि राहत समर्थित है। <u>किसी भी राशि की पूर्व-जमा करने की आवश्यकता को माफ़ करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि, याचिंकाकर्ता को एक बांड प्रस्तुत करना होगा और न्यायालय के समक्ष प्रतुत अचल संपतियों की सूची को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतिभूति भी प्रदान करनी होगी|</u> इसके अधीन, पूर्व-जमा की आवश्यकता को माफ कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता की अपील को पुनर्जीवित किया जाएगा और अब सी. ई. एस. टी. ए. टी. अधिवक्ता को पर्याप्त नोटिस जारी करने के बाद उनके गुण-दोष पर पक्षों को सुनने के लिए आगे बढ़ेगा।"

[जोर हमारा है]

9.7 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***गणेश यादव*** मामले (उपर्युक्त) में, सीई अधिनियम की धारा 35एफ के तहत पूर्व-जमा की आवश्यकता को अनिवार्य मानते हुए और संवैधानिक चुनौती को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को उचित मामले में पूर्व-जमा की आवश्यकता से छुट देने का अधिकार क्षेत्र निहित है| निर्भरता निम्नलिखित उद्धरण पर रखी गई है |

8. .... आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ अधिकरण में अपील के मामले में 10% जमा की आवश्यकता| इस आवश्यकता को मनमाना या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है। इन सबसे ऊपर, जैसा कि <u>उच्चतम न्यायालय ने श्याम किशोर (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित किया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च</u>

<u>न्यायालय को पूर्व-जमा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त मामले में अधिकारिता निहित है और अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय की शक्ति को नहीं हटाया जाता है।</u> *यह उच्चतम न्यायालय द्वारा पी. लक्ष्मी देवी (उपर्युक्त) मामले में भी अभिनिर्धारित किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिट अधिकारिता का सहारा लेना किसी उपयुक्त मामले में खारिज नहीं किया जाएगा।*

[जोर हमारा है]

10. प्रत्यर्थी सं. 2 ने ***चन्द्रशेखर झा (उपर्युक्त)*** मामले पर भरोसा करने के आलावा ***डिश टीवी इंडिया लिमिटेड*** मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के निर्णय के साथ-साथ ***निव्वंस संचार*** मामले (उपर्युक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है |

10.1 ***डिश टीवी इंडिया लिमिटेड*** मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उपग्रह/देखने वाले कार्डों के आयात से संबंधित मामले में अधिनियम में संशोधन के मद्देनजर अनिवार्य पूर्व-जमा को बरकरार रखा। अधिनियम की धारा 129ई के संशोधन पर चर्चा करते हुए उपरोक्त निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता का वार्षिक कारोबार रु 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा था और अनिवार्य पूर्व-जमा उसका एक छोटा प्रतिशत होगा, पूर्व-जमा करने का निर्देश दिया गया है |

10.2 डिश टी-वी इंडिया लिमिटेड मामले में समन्वित पीठ ने एम. एस डायमंड एंटरटेनमेंट टेकनोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त सी.जी.एस. टी. आयुक्तालय देहरादून और अन्य तथा अन्जनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त के मामले में पिछले निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि पूर्व-जमा में छुट नहीं दी जा सकती है |

10.3 अंजनी टेक्नोप्लास्ट मामले (उपर्युक्त) के विश्लेषण से पता चलता है कि समन्वय पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अधिनियम की संशोधित धारा 129ई संशोधित प्रावधान के प्रवर्तन की तारीख अर्थात दिनांक 06.08.2014 पर और से दायर सभी अपीलों पर लागू होगी। समन्वय पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 129ई के दूसरे परंतुक के शब्द स्पष्ट थे और संशोधित प्रावधान अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी अपील पर लागू नहीं होगा जो दिनांक 06.08.2014 से पहले दायर की गई है। इस प्रकार, संशोधित प्रावधान दिनांक 06.08.2014 को या उसके बाद दायर की गई सभी अपीलों पर निम्नानुसार लागू होगाः

> *"जहां तक अधिनियम की संशोधित धारा 129ई का संबंध है, इसके शब्द स्पष्ट हैं। यह अधिकरण या आयुक्त (अपील), जैसा शब्दों के साथ प्रारंभ होता है जो भी मामला हो, किसी भी अपील पर विचार नहीं करेगा..... जब तक कि अपीलार्थी धारा (i), (ii) अथवा (iii) इसके अधीन, में निर्धारित किए गए मांग किए गए शुल्क का प्रतिशत जमा नहीं करता है*

धारा 129 ई के द्वितीय परंतुक के शब्द भी स्पष्ट हैं। यह स्पष्ट करता है ***<u>कि संशोधित प्रावधान अपील और स्थगन आवेदनों पर लागू नहीं होगा जो वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 अर्थात 6 अगस्त 2014</u>*** *के प्रारंभ होने से पहले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष "लंबित" थे* ***<u>दूसरे शब्दों में, यह उक्त तिथि को अथवा उसके बाद दायर सभी अपीलों पर लागू होगा।</u>*** *इसलिए, जो* ***<u>देखा जाना है वह अपील दायर करने की तारीख है।</u>*** *यदि अपील* ***<u>6 अगस्त 2014 को अथवा उसके बाद दायर की जाती है तो अपील पर विचार करने के लिए अधिनियम की संशोधित धारा 129ई</u>*** *में निर्धारित शर्त को पूरा करना होगा।*

[जोर हमारा है]

10.4 मेसर्स डायमंड एंटरटेनमेंट मामले (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य पूर्व-जमा की शर्तों का पालन किए बिना सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपनी अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए, वास्तव में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इसे ख़ारिज नहीं किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलकर्ता को पूर्व-जमा राशि के भुगतान के बिना अपनी अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इस निर्णय के प्रकरण 11 पर भरोसा किया गया है जो इस प्रकार हैः

11. सोचा गया कि यह तर्क दिया जा सकता है कि यह ***<u>रिट न्यायालय, उपयुक्त मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ता को</u>***

<u>अनिवार्य पूर्व-जमा राशि का भुगतान करने की आवश्यकता के बिना सीईएसटीएटी के समक्ष अपनी अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है।</u>

[जोर हमारा है]

10.5 निम्बस कम्युनिकेशंस मामले (उपर्युक्त) में, बंबई उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने सीई अधिनियम की धारा 35एफ पर चर्चा करते हुए 06.08.2014 के पश्चात् दायर अपील के मामले में अनिवार्य पूर्व-जमा की आवश्यकता को बरकरार रखा है। न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उद्भूत हुआ वह यह था कि क्या मुकदमा शुरू होने की तारीख को या अपील दायर करने की तारीख पर लागू होने वाला कानून विवाद को नियंत्रित करेगा। पक्षकारों की सहमति से यह मानते हुए मामले का निपटान किया गया कि संशोधित प्रावधान उन अपीलों और आवेदनों पर लागू नहीं होंगे जो दिनांक 06.08.2014 से पहले लंबित थे, भले ही मुकदमा प्रारंभ की तारीक कुछ भी हो |

11. डिश टीवी इंडिया लिमिटेड मामले (उपर्युक्त) निर्णय में, एम/एस डायमंड एंटरटेंमेंट मामला (उपर्युक्त), अंजनी टेक्नोप्लास्ट मामला (उपर्युक्त) और निम्बस कम्युनिकेशंस मामला (उपर्युक्त) में निर्णय में भिन्न हैं क्योंकि

ये निर्णय मुख्य रूप से कानून के निम्नलिखित दो प्रश्नों पर निर्णय ले रहे थेः

(i) अधिनियम की धारा 129ई और सीई अधिनियम की धारा 35एफ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का मुद्दा; तथा

(ii) क्या उपरोक्त (i) में लागू पूर्व-संशोधन (दिनांक 06.08.2014 को या उससे पहले) के रूप में कानून, उन परिस्थितियों में लागू होगा जहां उल्लंघनकारी अधिनियम अथवा वाद के संशोधन से पहले हुआ था।

11.1 उच्चतम न्यायालय ने चंदर शेखर झा मामले (उपर्युक्त) में इस मुद्दे पर विराम लगा दिया। इस मामले में जो प्रश्न उद्भूत हुआ वह यह था कि क्या अपीलार्थी को अधिनियम की असंशोधित धारा 129ई के प्रावधानों द्वारा नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन धटना वर्ष 2013 से संबधित है। यह देखते हुए कि संशोधन दिनांक 06.08.2014 को लागू हो गया है, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदन और अपीलें, जो अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 06.08.2014 तक लंबित थीं, असंशोधित प्रावधान द्वारा नियमित होंगी, तथापि, उसके बाद दायर की गई सभी अपीलों के लिए,

अधिनियम का संशोधित प्रावधान लागू होगा। प्रासंगिक उद्धरण यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ***... "संशोधित प्रावधान, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, दिनांक 06.08.2014 से लागू हो गया है इसलिए, स्थगन आवेदनों और अपीलों के संबंध में जो वित्त (सं.2) अधिनियम 2014, के प्रारंभ से पहले किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित थे, प्रतिस्थापित धारा 129ई लागू नहीं होगी। किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पहले के प्रावधान को निरस्त कर दिया जाता है और नए प्रावधान द्वारा इसके स्थान पर होगा।***
>
> [जोर हमारा है]

12. इस प्रकार ऊपर प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट बोध होता है कि 06.08.2014 को संशोधन अधिनियम के पारित होने के पश्चात् अधिनियम की संशोधित धारा 129ई और सीई अधिनियम की धारा 35एफ उन मामलों में लागू होगी जहां अपील 06.08.2014 के पश्चात् दायर की गई है।

12.1 तथापि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय की समन्वित पीठों ने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध शक्ति का उपयोग किया है और इस प्रकार, या तो पूर्व-जमा शर्त को माफ करने अथवा आंशिक जमा अथवा प्रतिभूति के अधीन अपील करने का अधिकार देने के लिए संरक्षित किया है। हालाँकि, शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया गया है।

12.2 गणेश यादव मामले (उपर्युक्त) में मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. ड. वाई चंद्रचूड़ (उस समय उनका अधिपत्य) के माह्यम से बोलते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालयन ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

> ***8. ....<u>क्या अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता का प्रयोग अधिनियम की धारा 35 एफ के तहत निर्धारित अनुशासंन को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, एक अलग मामला है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 226[एसआई.सी अनुच्छेद 226] के तहत शक्ति को कम नहीं किया गया है, क्योंकि इसे काम नहीं किया जा सकता है ।</u>***
>
> [जोर हमारा है]

12.3 अतः जो प्रश्न उद्भूत होता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामला इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है ताकि पूर्व-जमा की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

<u>आगरवुडः प्रजातियाँ और निर्यातः</u>

13. वस्तुएँ, अर्थात, अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल और वर्तमान मामले में इसके मूल्यांकन के संबंध में पक्षों के विवाद को बेहतर ढंग से

समझने के लिए, असम सरकार की "असम अगरवुड संवर्धन नीति 2020" का उल्लेख करना भी आवश्यक है [इसके बाद "अगरवुड नीति" के रूप में संदर्भित]। प्रकरण 1 औषधीय, सुगंधित और यहां तक कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए अगरवुड के उपयोग की व्याख्या करता है। अगरवुड नीति का प्रकरण 4, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करता है कि अगरवुड प्रजाति जिसे एक्विलेरिया मैलाकेंसिस कहा जाता है, भारत में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति है और इसे सीआईटीईएस, अर्थात्, संभावित रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।

13.1 याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल का निर्यात निःशुल्क है और प्रतिबंधित नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी का तर्क है कि अगरवुड का निर्यात दिनांक 13.04.1998 की डीजीएफटी अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित है।

13.2 1998 की अधिसूचना की समीक्षा से पता चलता है कि अगरवुड की एक्विलेरिया मैलाकेंसिस प्रजातियों का निर्यात वास्तव में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन "सीमित" है। निर्यात निश्चित शर्तों को पूरा करने के अधीन है जिसमें क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव), या संबंधित राज्य के

मुख्य वन संरक्षक या मंडल वन अधिकारियों से खेती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना शामिल है; सीआईटीईएस और/या अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के तहत निर्यात के लिए आवश्यक परमिट।

13.3 जबकि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 2 दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि प्रजाति एक्विलेरिया मैलाकेंसिस एक लुप्तप्राय प्रजाति है, वे इस बात पर भिन्न हैं कि क्या जब्त किया गया सामान अगरवुड की उच्च श्रेणी की एक्विलेरिया मैलाकेंसिस प्रजाति से संबंधित है या निम्न श्रेणी की विभिन्न प्रजाति से संबंधित है।

13.4 याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे निम्न श्रेणी की अगरवुड ले जा रहे थे जो निर्यात के लिए निर्बंधित नहीं है।

13.5 ओआईओ में प्रत्यर्थी संख्या 2, वन्यजीव निरीक्षक दिनांक 20.09.2019 की रिपोर्ट पर भरोसा करता है [प्रकरण 5.1 ऊपर देखें] यह तर्क देने के लिए कि जब्त किए गए सामान एक्विलेरिया मैलाकेंसिस प्रजाति के हैं। तथापि, ओ. आई. ओ. में वन्यजीव निरीक्षक की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू छुट गया है, जहाँ यह कहा गया है कि “अलग-अलग श्रेणी के अगरवुड जब्त किए गये थे”| ओं.आई.ओं प्रकरण 20 में वास्तव में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जब्त किए

गए सामान अगरवुड टुकड़ें की 'प्रजाति' अथवा श्रेणी में जाए बिना प्रतिबंधित/निषिद्ध सामान हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगरवुड के टुकड़े और तेल की 'श्रेणी' और 'प्रजाति' में जाने के बिना, इसके मूल्यांकन का पता लगाना संभव नहीं है।

<u>मूल्यांकन और कीमतों पर परिचर्चाः</u>

14. यह अधिसूचित किया जाता कि उपरोक्त प्रकरण ऊपर पैराग्राफ 5.1 में निर्दिष्ट वन्यजीव निरीक्षक की रिपोर्ट एक "प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट" है। यह रिपोर्ट 20.09.2019 को माल की जब्ती के समय आईजीआई हवाई अड्डे, दिल्ली में याचिकाकर्ताओं के सामान की जांच के बाद बनाई गई थी। रिपोर्ट में जब्त किए गए सामान की कोई कीमत/मूल्य अथवा श्रेणी निर्धरित नहीं किया गया है, लेकिन जब्त किए गए सामान की पहचान "अगरवुड" मिश्रित आकार और आकृति/ विभिन्न श्रेणी के एक्विलेरिया मैलाकेंसिस के रूप में की गई है | ओआईओ दिनांक 20.09.2019 के बाद किसी भी "अंतिम रिपोर्ट" अथवा जब्त किए गए सामान की आगे की जांच का उल्लेख नहीं करता है।

14.1 याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना प्रत्यर्थीगण संख्या 1 और 2 द्वारा जब्त किए गए सामान की कीमत और मूल्यांकन पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने असम के होजई के स्थानीय

बाजार से जब्त किया गया सामान खरीदा था। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अगरवुड नीति के अनुसार अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य अधिक है, तथापि जब्त किए गए सामान स्थानीय बाजार से खरीदे गए सबसे निम्न श्रेणी के थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल का बाजार मूल्य रु. 140/- से रु. 1200/- प्रति किलोग्राम और इस तरह की खरीद दिखाने वाली जब्त की गई सामग्री के चालान को एससीएन को उनके जवाब के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों के समक्ष रखा गया है।

14.2 याचिकाकर्ताओं ने अपील के साथ मूल्य भिन्नता की अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ चालान भी दायर किए हैं। एक दिनांक 13.09.2019 को एक इकाई के नाम से जिसको "रेयर एंटरप्राइज, महरौली, दिल्ली" - नामक संस्था के नाम पर है, जिसमे एक्विलेरिया एगलोचा के अगरवुड के टुकड़े की ब्रिकी दिखाई गई है, जो कि अगरवुड की निम्न श्रेणी की प्रजाति है, जिसकी क़ीमत 950 से 1600 रूपये प्रति किलोग्राम के बीच है| दूसरा चालान याचिकाकर्ता स.2 के नाम पर है और दिनांकित 15.09.2019 को 6000 रूपये प्रति किलोग्राम के रुपये से 5 किलोग्राम अगरवुड की बिक्री दिखता है दो अन्य चालान मार्च 2018 के है,

जिनमे अगरवुड तेल की कीमत 1200 रूपये प्रति किलोग्राम और अगरवुड के टुकड़े की विभिन्न किस्मों के लिए 475 रूपये प्रति किलोग्राम दिखाई गयी है |

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने कहा है कि जब्त किए गए सभी सामानों के लिए समान मूल्यांकन किया गया है। एससीएन के प्रकरण 1.8 से पता चलता है कि अगरवुड टुकड़ें का "अनंतिम" मूल्य रु 5,00,000/- प्रति किलोग्राम, रखा गया है, जबकि अगरवुड तेल का बाजार मूल्य रु 8,00,000/- प्रति किलोग्राम। प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

> *"इसलिए, अगर अगरवुड के उक्त लकड़ी के टुकड़े का कुल वजन 120 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य लगभग* ***6 करोड़ रूपये है] (अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लिया गया है) | और अगरवुड तेल का वजन 4.5 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य 36 लाख रुपये है, (अनंतिम बाजार मूल्य 8 लाख रूपये प्रति किलोग्राम की दर से लिया गया) लगभग जब्त किए गए है |***
>
> [जोर हमारा है]

15.1 यह-अनंतिम मूल्यांकन दिनांक 20.09.2019 के पंचनामा से शब्दशः लिया गया प्रतीत होता है [इसके बाद "पंचनामा" के रूप में संदर्भित]। पंचनामा का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया हैः

> *इसलिए, अगरवुड के उक्त लकड़ी के टुकड़े का कुल वजन 120 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपये है* ***(अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 5 लाख रूपये प्रति किलोग्राम की दर से लिया***

*<u>**गया)**</u> और अगरवुड के तेल का वजन 4.5 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य 36 लाख रुपये है <u>**(अनंतिम बाजार मूल्य 8 लाख रूपये प्रति किलोग्राम की दर से लिया गया)**</u> लगभग सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा जब्त कर लिए गया|*

[जोर हमारा है]

15.2 अधिनियम की धारा 110 (1) के तहत पारित तीन अलग-अलग आदेश (फ़र्द मकबूजगी), प्रत्येक दिनांक 20.09.2019 को भी पंचनामा के संदर्भ में अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल का मूल्य अगरवुड के टुकड़े के लिए 5 लाख रूपये प्रति किलोग्राम और अगरवुड तेल के लिए 8 लाख रूपये प्रति किलोग्राम भी अंकित करते है, |

15.3 जैसा कि ऊपर कहा गया है, एससीएन उसी अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य को अपनाता है जैसा कि पंचनामा/फ़र्द मकबूजगी), में कहा गया है। अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल को दिए गए मूल्यांकन के आधार के रूप में एससीएन में कोई सुराग नहीं दिया गया है।

16. हालाँकि ओ. आई. ओ. ने वन्यजीव निरीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ दिया है, जो यह बताती है कि विभिन्न श्रेणियों के टुकड़े बरामद किए गए थे, लेकिन ओ. आई. ओ. में अगरवुड के प्रत्येक अलग श्रेणी के लिए निर्धारित कीमतों का कोई संदर्भ नहीं है। जब्त किए गए पूरे 120 किलोग्राम के लिए समान मूल्य निर्धारित किया गया है। एससीएन

"अनंतिम अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य" के आधार पर जब्त किए गये सामान का मुल्यांकन और प्रत्येक याचिकाकर्ता पर जुर्माना निर्धरित किया है| ओआईओ केवल एससीएन, पंचनामा और जब्ती ज्ञापन में निर्धारित मूल्याकन को प्रत्युत्पादित कर्ता है और दोहराता है कि अगरवुड के टुकड़े का मूल्य 5,00,000 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से है, जबकि अगरवुड तेल का मूल्य 8,00,000 रूपये प्रति किलो की दर से है |

16.1 ओ.आई.ओ आगे स्पष्ट करता है कि जुर्माने की राशि "मेन्स रिया", अर्थात., तस्करी के इरादे और तस्करी के प्रयास के पूरे कार्य में सभी तीन याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है।

16.2 हालाँकि, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है, प्रत्येक याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना उनमें से प्रत्येक से बरामद माल का एक अलग प्रतिशत मूल्य प्रतीत होता है ['जुर्माना लगाया गया' शीर्षक वाला अंतिम कॉलम देखें]। इसके लिए कोई तर्क अथवा औचित्य तर्क प्रतीत नहीं होता है।

क्र. सं.	वस्तुओं का विस्तृत विवरण	अगरवुड का शुद्ध वजन (किलोग्राम में) लगभग	बरामद अगरवुड का अनंतिम मूल्य (रुपये में)	अगरवुड लकड़ी के तेल का शुद्ध वजन (किलोग्राम में) लगभग	बरामद अगरवुड तेल का अनंतिम मूल्य (रुपये में)	बरामद अगरवुड और अगरवुड तेल का कुल अनंतिम मूल्य (रु में)	लगाया गया जुर्माना (रुपये में)	जुर्माना लगाया गया %

1.	अगरवुड टुकड़ें और अगरवुड तेल **[याचिकाकर्ता सं. 1]**	21	1,05,00,000/-	4.5	36,00,000/-	1,41,00,000/-	15,00,000/-	**प्राप्त मूल्य का 9.4 गुना सामान।**
2.	अगरवुड टुकड़ें **[याचिकाकर्ता सं. 2]**	50	2,50,00,000/-	-	-	2,50,00,000/-	75,00,000/-	**बरामद मूल्य का 3.33 गुना सामान।**
3.	अगरवुड टुकड़ें **[याचिकाकर्ता सं. 3]**	49.	2,45,00,000/-			2,45,00,000/-	25,00,000/-	बरामद माल का मूल्य का 9.8 गुना ।
4.	कुल	120	6,00,00,000/-	4.5	36,00,000/-	6,36,00,000/-	1,15,00,000/-	

17. अगरवुड नीति अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल की कीमतों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए भी प्रासंगिक हो जाती है। अगरवुड नीति के प्रकरण 4 में कहा गया है कि अगरवुड के टुकड़े का बाजार मूल्य रु. 15,000/- से रु. 2,50,000/- प्रति किलोग्राम तक है, और अगरवुड तेल का बाजार मूल्य विविधताके आधार पर 43,000/- रूपये से 10,32,000/- रूपये प्रति किलोग्राम तक होता है, भारत में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, शीर्ष गुणवत्ता वाले अगरवुड तेल और लकड़ी की कीमत कुछ डॉलर प्रति किलोग्राम से लेकर 30,000 डॉलर प्रति किलोग्राम तक भिन्न हो सकती है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

"आगर से बोया, बोहा और खारा नाम से तीन श्रेणी का तेल निकाला जा रहा है। दर भी 500 रुपये से भिन्न होती है। 500/- से रु. 1000/- प्रति तोला (बोया) और रु 2200/- से 2800/- प्रति तोला (बोहा) और उत्तर पूर्व बाजार में रु. 6000/- से 12000/- रूपये प्रति तोला (खारा प्रथम जल) (अर्थात 11.66 ग्राम = 1 तोला और 86 तोला = 1 किग्रा) तक भिन्न होती है| हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, प्रथम श्रेणी के अगरवुड तेल का मूल्य दो गुना से भी अधिक है, जैसे कि निम्नतम गुणवत्ता वाले तेल और रेशेदार वाली लकड़ी के लिए कीमते कुछ अमेरिकी डॉलर प्रति किलो से लेकर तिस हजार डॉलर से अधिक है अगरवुड के टुकड़े भी उच्च मूल्य के है, जिनकी 15,000/- रूपये से लेकर रुपये 2,50,000/- प्रति किलोग्राम है, जिन्हें जुरा, मुरी, चाला, सिसोर आदि कहा जाता है।

<u>निष्कर्ष:</u>

18. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल की कीमत और मूल्यांकन इसकी श्रेणी और विविधता के आधार पर काफी भिन्न होता है।

18.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन कीमतों पर भरोसा किया गया है, वे अगरवुड नीति में बताई गई कीमतों के समान नहीं हैं। ये अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के लिए प्रत्यर्थी संढया 1 व 2 द्वारा भरोसा किए गए मुल्यांकन से भी बहुत अलग है |

18.2 जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है,"अनंतिम" मूल्यांकन पंचनामा और दिनांक 20.09.2019 के जब्ती ज्ञापनों से शब्दशः लिया गया प्रतीत होता है। एस. सी. एन. जब्त किए गए माल के लिए समान मूल्यांकन को अपनाता है और ओ. आई. ओ. केवल इस मूल्यांकन को पुनः प्रस्तुत करता है।

18.3 प्रत्यर्थीओं ने अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल के मूल्य/क़ीमत के समर्थन में कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा है, जिससे याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के लिए “अनंतिम रूप से” 5,00,000 रूपये प्रति किलोग्राम और 8,00,000 रूपये प्रति किलोग्राम क्रमश मूल्य लगाया था| ओ. आई. ओ. मूल्य पर बिना किसी चर्चा के इस मूल्यांकन पर पहुंचता है। ओ. आई. ओ. वन्यजीव निरीक्षक की रिपोर्ट पर भी निर्भर करता है जिसमें किसी भी कीमत का उल्लेख नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब्त किए गए अगरवुड के टुकड़े में अलग-अलग श्रेणी के थे। जब्त किए गए अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल की किस्म के मूल्य/कीमत पर कोई अंतिम रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है या यहां तक कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा भी नहीं किया गया है।

18.4 जब्त किए गए माल का मूल्यांकन, असम सरकार की अगरवुड निति में निर्धारित कीमतों के संदर्भ में भी नहीं है| उदग्रहीत जुर्माने की कोई उचित गणना नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना अनंतिम मूल्यांकन के आधार पर लगाया गया है। इसलिए लगाया गया जुर्माना बिना किसी कानूनी आधार के है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

19. पायनियर कॉरपोरेशन मामले (उपर्युक्त), नरेंद्र यादव मामले (उपर्युक्त), शुभ इम्पेक्स मामले (उपर्युक्त), मनोज झा मामले (उपर्युक्त) और गणेश यादव मामले (उपर्युक्त) के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत यह है कि न्यायालय को "दुर्लभ और योग्य मामलों" में दंड की पूर्व-जमा की आवश्यकता को माफ करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति है जहां हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट औचित्य बनाया गया है। नरेंद्र यादव मामले (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने पाया था कि मूल आदेश में याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माना का कोई कारण नहीं दिया गया था और इसलिए यह अनुचित था। शुभ इम्पेक्स मामले (उपर्युक्त) में, न्यायालय ने पाया कि पूर्व-जमा की शर्त अपीलकर्ता के व्यवसाय को पूरी तरह से अक्षम और पंगु बना देगी और अपीलकर्ता की वित्तीय स्थिति और पृष्ठभूमि को देखते हुए वित्तीय विफलता और

अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। मनोज झा मामले (उपर्युक्त) में कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास कोई भी राशि जमा करने के लिए बहुत सीमित साधन हैं, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए।

20. मान लीजिए, याचिकाकर्ता गरीब दैनिक दिहाड़ी मजदुर हैं जो उन पर लगाए गए जुर्माने के कारण अधिकरण और जब्ती को चुनौती देने में असमर्थ हैं। अगरवुड के टुकड़े और अगरवुड तेल की कीमतों और मूल्यांकन पर पूर्ववर्ती चर्चा से, तथापि, प्रथमदृष्टया, यह पता चलता है कि जब्त किए गए सामान का कोई उचित मूल्यांकन प्रत्यर्थीगण द्वारा नहीं किया गया था। प्रतिवादी द्वारा किया गया।

20.1 ***गणेश यादव*** मामले (उपर्युक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीई अधिनियम की धारा 35एफ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि अधिनियम, कभी-कभी, अपील दायर करने की आवश्यकता के रूप में शर्तें लगा सकता है। तथापि, एक शर्त जो अनावश्यक रूप से कठिन है, अपील करने के अधिकार को शून्य बना देगी। यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

> *3..... कानून के पहले सिद्धांत के रूप में, अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और यह विधायिका के लिए खुला है जो शर्तों के अनुपालन के अधीन अपील की शर्त के लिए अपील का उपचार प्रदान*

करता है। एक राजकोषीय कानून एक अपील पर विचार करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में पूर्व-जमा की आवश्यकता निर्धारित कर सकता है। ***ऐसा करने की विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध यह है कि जो शर्त निर्धारित की गई है वह इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए कि अपील के अधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित या निरासत कर दे।*** *एक शर्त जो अनुचित रूप से कठिन है, अपील के अधिकार को भ्रामक बना देगी और इसलिए मनमाना होने और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का जोखिम होगा।*

[जोर हमारा है]

20.2 इसलिए, याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिति और साधन को देखते हुए, उन्हें प्रत्यर्थीगण द्वारा इस प्रकार लगाए गए मूल्यांकन को चुनौती देने का अवसर दिए जाने की आवश्यकता है, जिसे अन्यथा उनके द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ताओं के मामले को जुर्माने की पूर्व-जमा राशि की छूट से संबंधित मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानते हैं।

21. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी सं. 1 को पूर्व-जमा की आवश्यकता पर जोर दिए बिना, याचिकाकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

21.1 यदि याचिकाकर्ता, या उनमें से कोई एक, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 6 सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी अपील दायर करता है, तो उसे पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना उसके गुण-दोष पर विचार किया जाएगा और सीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।

21.2 परिणामस्वरूप, याचिका और लंबित आवेदन बंद हो जाएंगे। तथापि, खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अप्रेल 28, 2023

(तारा वितस्ता गंजू)
न्यायाधीश

(राजीव शकधर)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।